विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति-2023 के विरूद्ध वर्ग-3 के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने संबंधी उच्च शिक्षा मंत्री को सम्बोधित मानवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान परिषद् का पत्रांक-996, दिनांक 03 अगस्त, 2023 प्राप्त हुआ है?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या है?	श्री संग्राम सिंह, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण निरस्त करने के सम्बन्ध में।
(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है, कृत कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रखेंगे?	श्री संग्राम सिंह, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर में कर दिया गया है।
(घ) संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत उक्त पत्र का उत्तर सदस्य विधान परिषद् को कब प्रेषित किया गया, उसकी प्रति सदन की मेज पर रखेंगे?	शासन के पत्र दिनांक 30.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मा0 सदस्य को अवगत करा दिया गया है। जी हॉ।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा विभाग।

UO-R-2024-404

योगेन्द्र उपाध्याय,
मंत्री,
उच्च शिक्षा विभाग।

अर्द्धशा0प0सं0-वि.प.-6/सत्तर-5-2024
उच्च शिक्षा अनुभाग-5
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2024

अपने पत्रांक-996/सभा.वि.प. विधान भवन, लखनऊ, दिनांक 03.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री संग्राम सिंह, प्रधान सहायक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल के जनपद महोबा में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्रांक-डिग्री सेवा/9324/2024-25, दिनांक 29.06.2024 द्वारा श्री संग्राम सिंह, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल में किया जा चुका है।

अत: अनुरोध है कि कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

30/07/24

(योगेन्द्र उपाध्याय)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह,
मा0 सभापति,
विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश।